कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग छ0ग0

//आदेश//

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक 360/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 14.04.2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7892/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 22.03.2020 एवं आदेश क्र.343ए/प्र.जि.म./ 2020 दुर्ग, दिनांक 03.04.2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी।

2. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पिड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छ0ग0 शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। यही कारण है कि COVID-19 के सम्भाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है।

3. अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रामक बिमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। अतः संक्रमण से बचाव हेतु जिला दुर्ग में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि दुर्ग जिले में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7892/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 22.03.2020 एवं आदेश क्र.343ए/प्र.जि.म./ 2020 दुर्ग, दिनांक 03.04.2020 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय–सीमा में वृद्धि की जावे।

यहॉ यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपातस्थिति में व्यवहारिक तौर पर सभंव नही है कि दुर्ग जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत दुर्ग जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय–सीमा में वृद्धि करना उचित है।

4. अतः मैं अंकित आनंद, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7892/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 22.03.2020 एवं आदेश क्र.343ए/प्र.जि.म./ 2020 दुर्ग, दिनांक 03.04.2020 द्वारा संपूर्ण दुर्ग जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय–सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 03 मई 2020 तक लागू किये जाने का आदेश पारित करता हूँ। आदेश की शेष शर्ते यथावत् रहेगीं।

5. महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1, दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों, आदेश क्रमांक 308/सां0लि0/2020 दुर्ग, दिनॉक 25 मार्च, 2020, कर्मॉक 316/सां0लि0/2020 दुर्ग, दिनॉक 25 मार्च, 2020 एवं आदेष कर्मॉक 333/सां0लि0/2020 दुर्ग, दिनॉक 29 मार्च, 2020 एवं आदेष कर्मॉक 354/प्र.

Scanned by CamScanner

जि.म./2020 दुर्ग, दिनॉक 9.4.2020 को इस आदेश के साथ पढ़ा जावे। अतः उक्त आदेशों द्वारा कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी।

यह आदेश दुर्ग जिले की संपूर्ण सीमाक्षेत्र के लिये दिनांक 03 मई 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 14.04.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
दुर्ग

पृ. क्रमांक 360 /प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 14.04.2020

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग/भिलाई/भिलाई चरोदा/रिसाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. उप संचालक, जनसंपर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
दुर्ग

Scanned by CamScanner